

an>

Title: Election of two members from Lok Sabha to the National Jute Board.

वरु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं पूरुताव करता हूं :-

"कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (b) of sub-section (4) of section 3 of the National Jute Board Act, 2008, read with rule 5 of the National Jute Board Rules, 2010, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

The motion was adopted.

-

-